

# बाल संरक्षण : मुद्दे एवं कार्रवाई



हम बच्चे को कैसे परिभाषित करते हैं ?

# बच्चे की परिभाषा : विभिन्न कानूनों के सन्दर्भ में

क्र.	कानून	परिभाषा
01.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015	कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो
02.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम	कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो
03.	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	लड़की 18 वर्ष, लड़का 21 वर्ष से कम
04.	बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986	बालक 14 वर्ष से कम, किशोर 18 वर्ष से कम
05.	मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	14 वर्ष से कम
06.	फैक्ट्रीज एक्ट, 1948	बालक- 15 वर्ष से कम किशोर - 15 वर्ष या इससे ज्यादा लेकिन 18 से कम
07.		

# बाल अधिकार : अवधारणा

- बाल अधिकार यानि बच्चों के अधिकारों के ऊपर बात करने से पूर्व यह जरूरी है कि कुछ बुनियादी प्रश्नों पर विचार किया जाए-
- बाल अधिकार किसे कहते हैं ?
- बाल अधिकार किन बच्चों के लिए है ?
- बाल अधिकार क्यों जरूरी हैं ?
- बाल अधिकार और व्यस्क अधिकार: समानता एवं अंतर
- बाल अधिकारों का पालन करना एक विकल्प है या अनिवार्यता ?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें 'संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता' को समझने की जरूरत है.

# संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता : संक्षिप्त परिचय

- यह समझौता बच्चों को प्रदान किए अधिकारों एवं सदस्य देशों को इन अधिकारों की पूर्ति के लिए क्या करना है के ऊपर बात करता है.
- समझौता 20 नवम्बर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया एवं पारित किया गया था.
- इस समझौते के तहत “बच्चा वह व्यक्ति है जिसने अपना 18 वर्ष पूरा नहीं किया हो”.
- इस समझौता में वर्णित सभी अधिकार सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए गए हैं.
- हमारे देश भारत ने इस समझौते पर दिनांक 11 दिसम्बर 1992 में हस्ताक्षर करते हुए इसे अपनाया.

# "I'VE GOT RIGHTS!"



SOS CHILDREN'S VILLAGES

## UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD In Youth-Friendly Language

**1** Everyone under 18 has these rights.

**2** ALL CHILDREN have these rights, no matter who they are, where they live, what their parents do, what language they speak, what their religion is, whether they are a boy or girl, what their culture is, whether they have a disability, whether they are rich or poor.



**3** When adults make decisions, they should think about how their decisions will affect children.

**4** The government has a responsibility to make sure your rights are protected. They must help your family to protect your rights and create an environment where you can grow and reach your potential.

**5** Your family has the responsibility to help you learn to exercise your rights, and to ensure that your rights are protected.

**6** You have the right to be alive.

**7** You have the right to a name, and this should be officially recognized by the government. You have the right to a nationality (to belong to a country).

**8** You have the right to an identity – an official record of who you are. No one should take this away from you.

**9** You have the right to live with your parent(s), unless it is bad for you. You have the right to live with a **FAMILY** that cares for you.

**10** If you live in a different country than your parents do, you have the right to be together in the same place.

**11** You have the right to be protected from kidnapping.

**12** You have the right to give your opinion, and for adults to listen and take it seriously.

**13** You have the right to find out things and share what you think with others, by talking, drawing, writing or in any other way unless it harms or offends other people.

**14** You have the right to choose your own religion and beliefs. Your parents should help you decide what is right and wrong, and what is best for you.

**15** You have the right to choose your own friends and join or set up groups, as long as it isn't harmful to others.

**16** You have the right to privacy.

**17** You have the right to get information that is important to your well-being, from radio, newspaper, books, computers and other sources. Adults should make sure that the information you are getting is not harmful, and help you find and understand the information you need.

**18** You have the right to be raised by your parent(s) if possible.

**19** You have the right to be protected from being hurt and mistreated, in body or mind.

**20** You have the right to special care and help if you cannot live with your parents.



**21** You have the right to care and protection if you are adopted or in foster care.

**22** You have the right to special protection and help if you are a refugee (if you have been forced to leave your home and live in another country), as well as all the rights in this Convention.

**23** You have the right to special education and care if you have a disability, as well as all the rights in this Convention, so that you can live a full life.

**24** You have the right to the best **HEALTH** care possible, safe water to drink, nutritious food, a clean and safe environment, and information to help you stay well.

**25** If you live in care or in other situations away from home, you have the right to have these living arrangements looked at regularly to see if they are the most appropriate.

**26** You have the right to **HELP** from the government if you are poor or in need.

**27** You have the right to food, clothing, a safe place to live and to have your basic needs met. You should not be disadvantaged so that you can't do many of the things other kids can do.

**28** You have the right to a good quality education. You should be encouraged to go to school to the highest level you can.



**29** Your **EDUCATION** should help you use and develop your talents and abilities. It should also help you learn to live peacefully, protect the environment and respect other people.

**30** You have the right to practice your own culture, language and religion - or any you choose. Minority and indigenous groups need special protection of this right.



**31** You have the right to play and rest.

**32** You have the right to protection from work that harms you, and is bad for your health and education. If you work, you have the right to be safe and paid fairly.

**33** You have the right to protection from harmful drugs and from the drug trade.

**34** You have the right to be free from sexual abuse.

**35** No one is allowed to kidnap or sell you.

**36** You have the right to protection from any kind of exploitation (being taken advantage of).

**37** No one is allowed to punish you in a cruel or harmful way.

**38** You have the right to **PROTECTION** and freedom from war. Children under 15 cannot be forced to go into the army or take part in war.

**39** You have the right to help if you've been hurt, neglected or badly treated.

**40** You have the right to legal help and fair treatment in the justice system that respects your rights.

**41** If the laws of your country provide better protection of your rights than the articles in this Convention, those laws should apply.

**42** You have the right to know your rights! Adults should know about these rights and help you learn about them, too.

**43 to 54** These articles explain how governments and international organizations like SOS Children's Villages and UNICEF will work to ensure children are protected.

SOS Children's Villages thanks UNICEF for kindly permitting the use of their youth-friendly text for this educational poster.



For more information visit  
[www.sos-childrensvillages.org](http://www.sos-childrensvillages.org)



# समझौता और बच्चों के अधिकार

## अनुच्छेद 1-42: बच्चों के अधिकार

## अनुच्छेद 43-54: सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं हेतु मार्गदर्शन

# समझौता और बच्चों के अधिकार

- बच्चों के समस्त अधिकारों को चार मुख्य अधिकार-वर्ग में रखा जाता है –

जीवन का अधिकार	सुरक्षा का अधिकार
विकास का अधिकार	सहभागिता का अधिकार

# समझौता एवं देश का कानून

- हमारे देश में वर्ष 1992 के बाद पारित हुए कानूनों पर समझौते के प्रभाव को देखा जा सकता है जो देश की बच्चों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

जीवन का अधिकार <b>*PCPNDT Act</b>	विकास का अधिकार <b>*RTE Act</b>
संरक्षण का अधिकार <b>*JJ Act</b> <b>*Pocso Act</b> <b>*Child Marriage Act</b> <b>*Child Labour Act</b>	सहभागिता का अधिकार <b>*JJ Act</b> <b>*Pocso Act</b>



संरक्षण एवं सुरक्षा

# मध्यप्रदेश में बाल संरक्षण की स्थिति

## Child Protection in MP: Situation Analysis (NCRB 2022)

Indicators	India (2022)	Madhya Pradesh			% (India-2022)	% (India-2021)	Rank (India-2022 )	Rank (India-2021 )
		2022	2021	2020				
Crime Against Children (Total)	162449	20415	20191	17008	12.56%	12.88%	#2	#1
Crime Committed by Children (CCL)	30555	3795	5684	4819	12.42%	18.23%	#2	#1
Rape Cases against children	37907	3646	3525	3262	9.61%	10.52%	#2	#1
Murder with Rape/POCSO	99	18	8	13	18.18%	5.71%	#2	#4
Sexual Offences under POCSO	63414	5996	6085	5670	9.45%	11.19%	#3	#3
Child Marriage Cases	1002	7	4	5	0.69%	-	#14	#14
Child Labour Cases	751	0	5	1	0	-	-	#14
Cyber Crime Against Children	1360	147	36	24	10.80%	3.33%	#3	#11
Missing Children Data	83,350	11,352	11,607	8,751	13.61%	14.97%	#2	#1

# बाल संरक्षण के मार्गदर्शी सिद्धांत

- बिना किसी भेदभाव के बच्चों के अधिकारों का संरक्षण
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देना
- बच्चों की निजता और गोपनीयता को हर समय बनाया रखना
- बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में उन्हें सुना जाना, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने दिए जाने और सोचने, अभिव्यक्त अकरने, मिलने, जानकारी तक पहुंच की स्वतंत्रता हो
- सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के भागीदारी करने का सामान अधिकार है
- सभी बच्चों को दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और हिंसा से सुरक्षा की जानी चाहिए

बाल श्रम :  
मुद्दे एवं हमारी कार्रवाई

# समस्या की पहचान एवं हमारी कार्रवाई

- समस्या

- कार्रवाई

- हितधारक (व्यवस्था)

बाल विवाहः  
मुद्दे एवं हमारी कारवाई

# समस्या की पहचान एवं हमारी कार्रवाई

• समस्या

• कार्रवाई

• हितधारक (व्यवस्था)

## अधिनियम की धारा 75....

- बच्चों के साथ क्रूरता के लिए ....



बालक के साथ किसी भी तरह की क्रूरता – शारीरिक या मानसिक तौर पर- उसपर हमला करना, उसका परित्याग करना, उत्पीडन करना, उसकी उपेक्षा करना आदि.

सजा – कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपये तक का जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा.





gettyimages®  
The India Today Group



गुरुवार 17 दिसंबर 2015

सर्वाधिकार शकल 6 संवत् 2072 शके 1937

## पिता गिरफ्तार, बच्ची को बाल गृह भेजा कुत्ते ने चिकन जूठा कर दिया तो बच्ची का गला घाँटने लगा पिता

भोपाल (नप्र)। पिता ने चिकन पकाया था। उसकी 13 साल की बच्ची घर के काम में लगी थी। इस दौरान एक आवारा कुत्ते ने चिकन की भगोनी में मुंह लगा दिया। इस बात से भड़का शराबी पिता लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसका गला दबाने लगा।

किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर बच्ची बाहर भागी तो उसने ईट फेंककर मारी। अंततः बच्ची ने कुछ दूर रहने वाली बाल सुरक्षा समिती की सदस्य के घर पनाह लेकर जान बचाई। वह बच्ची को लेकर चाइल्ड लाइन आ गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पिता के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को बाल गृह भेज दिया गया है। घटना स्टेशन बजरिया इलाके की है। पुलिस के मुताबिक शंकराचार्य नगर निवासी कमलकिशोर वंशकार की पत्नी की पांच साल पहले मौत हो गई है। आदतन शराबी कमल अपनी मां और 13 साल की बेटी के साथ रहता है। मां की पेंशन छीनकर शराब पी जाता था।

### हाथ-पैरों में दिखाए चोट के निशान

काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने हाथ-पैरों में मारपीट के निशान भी दिखाए। उसने बताया कि उसका एक 15 साल का बड़ा भाई और 10 वर्ष का छोटा भाई भी है, लेकिन पिता से त्रस्त होकर दोनों लोकोत्थान संस्था के आश्रय में रहकर पढ़ रहे हैं। वह भी सातवीं की छात्रा है, लेकिन पिता स्कूल नहीं जाने देता था। बच्ची के बयानों के आधार पर पुलिस ने पिता के खिलाफ मारपीट, किशोर न्याय अधिनियम की धारा-23 के तहत केस दर्ज कर लिया।



» किसी तरह चंगुल से छूटकर बच्ची ने बचाई जान

बेजय करने लिखे र में

सिटी 1 होम तथा इ के की पहुंच बेटी मिल

दीप को के गीज की ही र में के डॉ. और थम हुए

hin/2007/21587) (डाक पीजीवन श्रीगंगानगर/172/2018-2020)

प्रकाश करने का अभाव आदिना अभाव में प्रकाश होते हैं। इस प्रक्रिया में जरूरतमंद को समय पर चिकित्सा सहायता तक नहीं मिल पाती।



## बच्चों को निर्ममता से पीटने वाला पिता गिरफ्तार

श्रीगंगानगर। तीन-चार साल के बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बिस्तर में पेशाब कर दिया था। मात्र इतनी सी बात पर उसके बेरहम पिता ने उसे रस्सी से बांधकर खूँटी पर लटका दिया और नंगा करके पतली गीली छड़ी से उसकी निर्ममता से पिटाई शुरू कर दी। अपने भाई को पीटते व रोते हुए देखकर जब नन्ही बहन उसे बचाने के लिये

दिल दहलाने वाले वीडियो में खुटी पर टंगे भाई को बचा रही छोटी बहन की भी पिटाई

अपने पिता को रोकने के लिये आगे आई तो उस फूल सी बच्ची पर भी वह पिता टूट पड़ा तथा उसे भी उसी छड़ी से बेरहमी से पीटने लगा। छड़ी की मार से ब्यकुल यह बच्ची जमीन पर रोती और लोटपोट होती रही लेकिन इस व्यक्ति को रहम नहीं आया। दोनों बच्चों के साथ ही रही इस घटना से एक तीसरी मासूम और छोटी बच्ची इन्हें बचाने के प्रयास में आगे आती है, उसे भी यह व्यक्ति रोक देता है और अपने बेटे को बार-बार बुरी तरह से थर्ड डिग्री टॉचर करता है। इस बेरहम व्यक्ति ने यह दरिद्री अपने घर में परिवारजनों की उपस्थिति में की लेकिन बच्चों की मां तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे नहीं रोका। बच्चों के चाचा द्वारा इस घटना का वीडियो बनाकर

वायरल किये जाने और एक न्यूज चैनल पर इस वीडियो का प्रसारण होने के बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों की मां से पूछताछ की जा रही है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने वीडियो वायरल करने और अपने भाई की गिरफ्तारी होने के बाद इसे मजाक में की गई घटना बताया है लेकिन पूरे वीडियो को देखने पर यह घटना किसी भी तरह से मजाक नहीं लगती। बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं, कुरला रहे हैं। उनकी निर्ममता से की जा रही पिटाई भी साफ नजर आ रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और लोग इस पर कमेंट करते हुए ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठा रहे हैं। राजसमंद जिले में हुई इस घटना के आरोपी का नाम चैनसिंह बताया जा रहा है। उसे थाना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। राजसमंद की बाल कल्याण समिति ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और वह भी इस मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। अनेक सामाजिक संगठनों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग सरकार और प्रशासन से की है।

# फीस के लिए बच्चे को प्रताड़ित किया तो जेजे एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

## सख्ती की तैयारी... शासन निकाल रहा आदेश

मनोज तिवारी  
भोपाल। नवदुनिया

अब फीस नहीं चुकाने पर स्कूल प्रबंधन विद्यार्थी को न तो परीक्षा देने से और न ही रिजल्ट देने से इंकार कर सकता है। ऐसा करने पर प्रबंधन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 (किशोर न्याय अधिकार अधिनियम) के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। मानव अधिकार आयोग की सिफारिश पर शासन ऐसे मामलों में सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। इस कानून में गैरजमानती धाराओं में कार्रवाई होती है। इसमें प्रताड़ना का आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को जेल और आर्थिक दंड देना पड़ता है। इस संबंध में इसी हफ्ते निर्देश जारी हो सकते हैं, जो मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित सीबीएसई-आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर लागू होंगे।

फीस की वजह से विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने की घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही हैं। कमजोर आय वर्ग के लोग फीस

### आयोग व पुलिस में शिकायत

स्कूल प्रबंधन यदि विद्यार्थी को फीस की वजह से प्रताड़ित करता है विद्यार्थी या अभिभावक बाल अधिकार संरक्षण आयोग व पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। प्रमाण के साथ जाने पर पुलिस जेजे एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करेगी। वहीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी ऐसे प्रकरणों में पुलिस की मदद लेकर संबंधितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाएगा।

देने में देरी करते हैं या किन्हीं कारणों से नहीं दे पाते हैं तो स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं दिलाकर या रिजल्ट नहीं देकर प्रताड़ित करता है। कई बार बच्चे के परिवार के हालात बताकर साथियों के बीच उपहास कराया जाता है।

### अभिभावकों से निपटें स्कूल

निर्देशों में कहा जा रहा है कि फीस का समझौता स्कूल प्रबंधन और अभिभावक के बीच हुआ है। इसमें विद्यार्थियों को शामिल न किया जाए।



## बैतूल: अंग्रेजी नहीं पढ़ सकी चौथी की छात्रा तो गुस्से में शिक्षिका ने सिर के बाल उखाड़ दिए



प्राइमरी स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ पाने पर एक शिक्षिका ने चौथी की छात्रा से नाराज होकर सिर के बाल खींचकर उखाड़ दिए। छात्रा को सिरदर्द होने लगा। तब उसने पिता को यह बात बताई। पिता ने घटना के 11 दिन बाद मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर डीपीसी को शिकायत की। शिकायत के बाद डीपीसी ने जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार आमला ब्लॉक के खेड़लीबाजार के शासकीय प्राइमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका पूर्णिमा साहू ने चौथी की छात्रा को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आने पर डांट-फटकार की और सिर के बाल खींच दिए।



## धारा 76 भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन



जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवायेगा वह सजा का हकदार होगा...

कारावास जोकि पांच वर्ष तक का हो सकेगा और एक लाख रूपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा.

भीख मांगने के प्रयोजन के लिए किसी बालक के किसी अंग को विकृत करना या उसे विकलांग बनाना.....

सजा - कारावास जोकि सात वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रूपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा.



# नवदुनिया

भोपाल (नवदुनिया), इंदौर, जबलपुर, रवाल्पूर, रायसेन, विदिशा और सिंदूर

भोपाल, गुरुवार 21 दिसंबर 2017

## नाबालिग बेटियों से मंगवाती थी भीख, मां को हुई जेल

पुलिस अफसरों ने साझा किए बच्चों से जुड़े मामले

**भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि**

प्रधानाहिल्ला इलाके में एक मां को अपने नाबालिग बेटियों से भीख मंगाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत जेल जाना पड़ा। महिला अपने नाबालिग बेटियों जिसमें एक केवल 2 साल की थी से भीख मांगवा करती थी ताकि उसे रागव पीने के लिए पैसा मिल सके। वहीं हबीबगंज में पुलिस ने एक दुकानदार को एक नाबालिग बच्चे को सिगरेट बेचने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

रुग्मल्लाहिल्ला और हबीबगंज पुलिस ने जिले के पुलिसकर्मियों के लिए होटल लेक वी्यू अरौक में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान यह बात कही। कार्यशाला का आयोजन आरम्भ संस्था के द्वारा भोपाल पुलिस और यूनिसेफ,

मध्यप्रदेश की सहायता से किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जिले के थानों में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, किशोर किशोर पुलिस इकाई और अन्य पुलिस अधिकारियों के बीच बाल सुरक्षा कानूनों पर बेहतर समन्वय बनाने के लिए किया गया था। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत अब तक की गई कार्रवाई से सबको परिचित कराया। कार्यशाला में भोपाल पुलिस विभाग से डीआईजी संतोष कुमार सिंह, एसपी साउथ राहुल लोधा, एडिशनल एसपी, हितेश चौधरी, एडिशनल एसपी, शालिनी दीक्षित, जिला किशोर शाखा विवेक लाल, चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर अर्चना सहाय, यूनिसेफ से लौलिचन, बाल सुरक्षा विशेषज्ञ गुजरीत रावत शामिल हुए।

## धारा 77 - बालक को मादक द्रव्य , तम्बाकू या अन्य कोई नशीला पदार्थ

किसी बालक को कोई मादक द्रव्य, तम्बाकू या अन्य कोई नशीला पदार्थ देना...किसी डॉक्टर के आदेश के अलावा...

सजा- सात वर्ष तक कठोर कारावास और एक लाख रूपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा.

धारा 78- बालक का उपयोग मादक द्रव्य , तम्बाकू या अन्य कोई नशीला पदार्थ के परिवहन में.....

- किसी बालक का किसी मादक द्रव्य , तम्बाकू या अन्य कोई नशीला पदार्थ के क्रय विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति या तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जाना.

सजा- कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा.



# अब नाबालिग को नहीं बेचे जाएंगे वाइटनर और थिनर

■ हाई कोर्ट ने जेजे ऐक्ट की धारा-77 के कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया

Rajesh.choudhary@timesgroup.com

नई दिल्ली : बच्चों को वाइटनर, थिनर जैसे पदार्थों की विक्री नहीं की जा सकेगी। जेजे ऐक्ट की धारा-77 के तहत नशीली शराब की विक्री 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैध है। इस दायरे में वाइटनर और थिनर को भी रखा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेजे बोर्ड के उस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि शराब व नशीले पदार्थ के दायरे में थिनर और वाइटनर भी आएगा क्योंकि ये बच्चों के लिए हानिकारक हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह जेजे बोर्ड के आदेश के तहत धारा-77 का पालन करे। दो बच्चियों के गायब होने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह आदेश परित किया है।

पेश मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सांधी और जस्टिस पीएस तेजी की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के डीसीपी ब्राइम की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। बताया गया कि अमन विहार इलाके से गायब हुई 10 साल और 8

■ धारा में जिन नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक है उनमें वाइटनर, थिनर भी आते हैं

साल की बच्ची की तलाश जारी है। इसलिए मना किया था बोर्ड ने : मामले की सुनवाई के दौरान जेजे ऐक्ट की धारा-77 का सवाल उठा जिसमें प्रावधान है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नशीले पदार्थ शराब आदि नहीं बेचे जा सकते। इस बाबत 2 मार्च 2017 को जेजे बोर्ड ने आदेश दिया था कि नशीले पदार्थ में वाइटनर और थिनर भी आते हैं। बच्चे इन तरल फ्लूड के बारे में नहीं जानते कि ये नुकसानदेह हैं। लिहाजा इनसे बच्चों को दूर रखने की जरूरत है।

ऐसे में इन्हें भी नशीली शराब की तरह धारा-77 के दायरे में रखा जाए और नशीला पदार्थ माना जाए। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इस तरह के पदार्थ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को न बेचे जाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो आदेश परित किया गया है, उस बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा जाए कि जेजे ऐक्ट की धारा-77 का पूरी तरह से पालन किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाए।



“ दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश दिल्ली पुलिस के लिए है लेकिन जेजे ऐक्ट केंद्रीय कानून है इसलिए जो व्यवस्था अदालत ने दी है वह देश भर के लिए लागू होती है।


- एमएल लाहौटी,  
सुप्रीम कोर्ट के ऐडवोकेट

## क्या है जेजे ऐक्ट की धारा-77

जेजे ऐक्ट में बदलाव कर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके बाद से 15 जनवरी 2016 से यह देशभर में लागू हो गई। धारा-77 में प्रावधान है कि अगर कोई शख्स बच्चे को शराब देता है, ड्रग्स देता है या फिर तंबाकू देता है तो जैसे मामले में अपराधी को 7 साल तक कैद की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो

सकता है। पहले इस मामले में 3 साल कैद की सजा का प्रावधान था। वहीं धारा-78 के तहत प्रावधान किया गया है कि अगर कोई शख्स बच्चे के जरिए शराब, ड्रग्स सप्लाई करवाता है या फिर स्मगलिंग करवाता है तो जैसे मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी को 7 साल तक कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।





## धारा 79- किशोर कर्मचारी का शोषण

- किसी बालक को बंधुआ बनाएगा या जबरन काम कराएगा या उसका पैसा रोककर रखेगा या उसके पैसे को स्वयं के उपयोग में लाएगा.
- इसके अंतर्गत आर्थिक लाभ हेतु लोक स्थानों में मनोरंजन एवं माल एवं सेवाओं का विक्रय.

सजा- कठोर कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा.

# क्या आपकी नजर में कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ ?



# धारा – 80- दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का अनुसरण न करना..

- बिना दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसरण के अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, प्रत्यक्त, अभयप्रित बालक को दत्तक ग्रहण में देता/लेता है...

सजा- कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा.



# आठवीं के छात्र की मदद से चुराते थे बाइक

## तीन थानों की पुलिस ने सात वाहन चोरों से बरामद की 37 बाइक

क्राइम रिपोर्टर | भोपाल

मिसरोद, शाहपुरा और बागसेवनिया पुलिस ने अलग-अलग मामलों में सात वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 37 बाइक बरामद की हैं। मिसरोद पुलिस के हथ्थे चढ़े चार आरोपियों में आठवीं का एक छात्र भी शामिल है। सेंट रफेल को-एड स्कूल के इस छात्र को देखकर कोई शक नहीं करता था। इसका फायदा उठाकर वह मॉल के सामने पार्किंग में खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर देता था। एएसपी रियाज

इकबाल के मुताबिक होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा मॉल के सामने खड़ी बाइक में चाबी लगाने की कोशिश करते एक नाबालिग समेत दो लोग दिखे। मिसरोद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अलग-अलग इलाकों से बाइक चोरी करना कबूल किया। आरोपियों में बाणगंगा निवासी एजाज खान और भेल संगम कॉलोनी निवासी 13 वर्षीय नाबालिग शामिल है। वहीं, 11 मील चौराहे पर चैकिंग कर रही मिसरोद पुलिस की दूसरी टीम ने सुरेश ठाकुर और गोलू गुर्जर को गिरफ्तार किया।

सात महीने में चुरा  
ली छह बाइक

शाहपुरा पुलिस ने भी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की छह बाइक जब्त की हैं। आरोपियों में शाहपुरा निवासी अजय वानखेड़े और 12 नंबर स्टॉप के पास रहने वाला 20 वर्षीय विजय कोठारे शामिल हैं। बीते सात महीने में आरोपियों ने कोलार, हबीबगंज, शाहपुरा और अरेश कॉलोनी से ये बाइक चुराई थीं। वहीं,

दंड-शारीरिक एवं मानसिक:  
मुद्दे एवं हमारी कारवाइ

# समस्या की पहचान एवं हमारी कार्रवाई

- समस्या

- कार्रवाई

- हितधारक (व्यवस्था)

बाल यौन शोषण :  
मुद्दे एवं हमारी कारवाइ



# समस्या की पहचान एवं हमारी कार्रवाई

- समस्या

- कार्रवाई

- हितधारक (व्यवस्था)

# धन्यवाद !

प्रस्तुतीकरण:अमरजीत कुमार सिंह

9770043311

ईमेल: [cp.amarjeet@gmail.com](mailto:cp.amarjeet@gmail.com)